प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 2 दिनांक 28.1.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन वीरवार दिनांक से दिनांक 28.1.16

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 28.1.20116 समय 2.00 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 9 समय 2.10 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) पूर्व – दक्षिण लगभग 9/10 कि0मी0

(ख) पता : बादशाह पुर

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) बादशाह पुर

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : दीपक शर्मा (ख) (पिता/पति का नाम) श्री वेद प्रकाश शर्मा

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेती बाडी (पता) म0 न0 1111 दूसरी मंजिल सै046 गुडगांवा

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. देशराज ए0एस0आई0
   थानाबादशाह पुर जिला गुडगांवा

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री निरीक्षक कुष्ण कुमार रा0चौ0ब्यूरो गंडगांवा बदस्त सि0 प्रवीन कुमार न0 323/FBD बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है, "सेवा में DIG साहब विजिलैसं गंडगांवा, श्रीमान जी, निवेदन है कि मै दीपक शर्मा सपुत्र वेद प्रकाश शर्मा निवासी म0 न0 1111 दूसरी मंजिल सै0 46 मे अपने परिवार सहित रहता हूॅं। मेरा स्थाई पता गाांव रानीला जिला भिवानी है। थाना बादशाह पुर में मेरे दोस्त देवेन्द्र राघव सुपुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी पलडा व देवेन्द्र कुमार सुपुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी पलडा के विरूद्ध एक चैक के मामले में मुकदमा न0 475/2015 धारा 420,406,467,468,471

POLICE STATION S.V.B. (H) थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) गुड़गांव मण्डल गुड़गांव

थाना बादशाह पुर मे दर्ज है। इस केस के I.O. एएसआई देशराज थाना बादशाह पुर है। एएसआई देशराज द्वारा मेरे दोस्त देवेन्द्र राघव को थाने में पुछताछ के लिए बुलाया और उसे गिरफ्तार करके भौंडसी जेल मे बन्द करा दिया जो लगभग 2 महीने से भौंडसी जेल मे ही बंद है, मै अपने दोस्त देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री राजेन्द्र कुमार के बारे में पुछताछ के लिए एएसआई देशराज से मिला तो उसने कहा की देवेन्द्र कुमार के मामले मे मै आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि इसका नाम FIR मे as a co-accused है, लेकिन उसका इस केस से कोई वास्ता भी नही है केवल दबाव बनाने के लिए इसका नाम लिखवाया गया है, मै देवेन्द्र कुमार को इस केस से निकलवा सकता हूँ लेकिन आपको फिस देनी होगी। मैने कहा सर ये दोनो निर्दोश है, लेकिन आपने देवेन्द्र राधव को तो गिरफ्तर कर लिया लेकिन देवेन्द्र कुमार को निकाल कर धर्म का काम करलो। उसने कहा मेरे को 1,50000रू0 फिस के देने होंगे जिसमे से 100000रू0 मै SHO को दूंगा तथा 50,000रू0 मेरी अपनी फिस है, अगर आप देवेन्द्र कुमार को निकलवाना चाहते हो तो 1,50000रू0 का इंतजाम करके आजाना मै आप को पुरी तरह से co-operate करूंगा और जैसा आप चाहते है वैसा ही होाग लेकिन आज कल बडा सख्त काम चल रहा है इसलिए फोन पर ज्यादा बात मत करना और सीधे मुझसे ही मिल लेना, आज कल यह काम बहुत होशियारी से करना पडता है इस केस में मेरा दोस्त देवेन्द्र कुमार लेकिन पुसिल अपने लालच मे बेवजह परेशान कर रही है मैने इस एएसआई से उसके बाद दुबारा फोन पर बात कि है लेकिन यह उसी बात पर अडा हुआ हैं। मैने एएसआई देशराज से कहा की मै एक मुस्त इतने पैसे का इंतजाम नही कर सकता जो मेरे निवेदन पर एएसआई देशराज ने आज पहली किस्त के रूप में 20,000रू० मुझ से लेना तय किया है। मेरी एएसआई देशराज से कोई आपसी रंजिश नही है व न ही मेरा कोई लेन-देन बकाया हैं। एएसआई देशराज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जाए। मै इस सम्बंध में एक शपथ-पत्र भी आपको पेश कर रहा हूँ। हस्ता:- अंग्रेजी दीपक शर्मा सुपुत्र वेद प्रकाश शर्मा निवासी म0 न0 1111 दूसरी मंजिल सै0 46 गुडगांव दिनॉक 28.01.2016 फोन न0 98714-85993 <u>कार्यवाही पुलिस</u> आज मन निरीक्षक कार्यालय रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव में कार्यरत था कि श्री दीपक शर्मा उपरोक्त ने एक लिखित शिकायत मार्क शुदा डी0आई0जी0 साहब पेशकी जो दरख्वास्त से सुरत जुर्म 7 पी0सी0एक्ट0 का सरजद होना पाए जाने पर तहरीर बराये कायमी मुकदमा बादस्त सि0 प्रवीन कुमार न0 323/FBD के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा पर्चा न0 से सूचित किया जावे वा स्पेशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट वा अफसरान वाला की सेवा मे बजरिया स्पेशल मैसेजर भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय एसआई सुभाष चंद्र न0 353/एच, एएसआई सतीश कुमार, एएसआई यशपाल, एएसआई सतबीर, सि0 रविन्द्र कुमार, सि0 योगेश कुमार, मय गाडियॉ सरकारी एच आर 55 जी 6999 चालक सुरेंद्र कुमार वा गाडी सरकारी एच आर 68-8353 चालक वेदप्रकाश मय मुदई मय तफतीशी बैग बराये लेने रैड अनुमती रवाना उपायुक्त कार्यालय का होता हूँ। बराये कराने नियुक्त ड्यिूटी मजिस्ट्रैट गुडगांव का होता हूँ, हस्ता:- अंग्रजी:- निरीक्षक कृष्ण कुमार, निरीक्षक, रा0 चौ0 ब्यूरो गुडगोव, दिनॉक 28.01. 2016 अजथाना at 2.00pm <u>अजथाना</u> आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की पाँच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय मे चाक की गई जो सेवा मे नियमानुसार अफसरान बाला भेजी जायेगी। एक पर्त FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मजिस्टैट साहब गुडगांव बदस्त सि0 प्रवीन कुमार 323/FBD भेजी जा रही है। असल-मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुचॉने हेतू इसी आरिन्दा सिपाही के हवाले कि गई

POLICE STATION S.V.B. (H)
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो(ह)
गुड़गाँव मण्डल गुड़गाँव
Gurgaon Range Gurgaon

थाना प्रभारी का नाम
नाम : रामसिंह
पद : एस आई
सख्यां : 818/एस.पी.टी
दिनांक 28.01.2016 समय 4.00 पी.एम

AHestael

Parwen
निरीक्षक
चौकसी ब्यूरो (ह०)
गुड़गांवा मण्डल गुड़गांवा